



2957  
27/12/14

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- अस्था पांडेय  
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202610460512917

वाद संख्या :- 12917/2026

ज्ञानेंद्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम माता प्रसाद  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा :- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि :- 04/06/2026

प्रस्तुत वाद वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2026 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखी / मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व सादे बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-दोना, परगना काकोरी, तहसील तहसील-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00448 की गाटा संख्या 2845 कुल रकबा 0.1520 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0510 हे०, गाटा संख्या 2957 कुल रकबा 0.1520 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0084 हे०, गाटा संख्या 2958 कुल रकबा 0.2910 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0970 हे०, गाटा संख्या 2967 कुल रकबा 0.0510 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0170 हे०, गाटा संख्या 3005 कुल रकबा 0.2150 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0716 हे०, गाटा संख्या 3062 कुल रकबा 0.0500 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0166 हे०, कुल रकबा 0.7840 हे० में से विक्रीत रकबा 0.2616 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता माता प्रसाद पुत्र जानकी निवासी-जालिम खेड़ा, मति, लखनऊ, उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावतियों से की जा सकती है।"



2957, 2958



3062

श्री कृष्ण

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)  
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह  
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507259  
वाद संख्या:- 7259/2026

शानेन्द्र प्राताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम श्री कृष्ण  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 09/05/2026

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00448 की खसरा सं० 2958 का कुल रकबा 0.2910हे० में से विक्रीत रकबा 0.0970हे०, खसरा सं० 3005 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रीत रकबा 0.0720हे०, खसरा सं० 3062 का कुल रकबा 0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0166हे०, खसरा सं० 2967 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0170हे०, खसरा सं० 2845 का कुल रकबा 0.1520हे० में से विक्रीत रकबा 0.0506हे०, खसरा सं० 2957 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0084 हे०, कुल रकबा 0.7840 में से विक्रीत रकबा 0.2616हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री कृष्ण पुत्र जानकी निवासी दोना विशेषर खेड़ा, काकोरी लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 02.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**Disclaimer :**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Court Order Print



2957

2958

अनिल



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-3)  
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460502390  
वाद संख्या:- 2390/2026  
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम कमला  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34  
" अंतिम आदेश "  
आदेश तिथि:- 09/04/2026

वाद संख्या

ग्राम दीना

नियमानुसार इशतहार आरी किया गया बाद सामील मालिकावली है। कोई आपति प्रस्तुत नाभान्तरण वाद पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तेजेनिसि नहीं हुई है तथा वाद बादी के साहस नियत की गयी। चाद निर्विवाद है। वाधी हाय अपन कथन के समर्थन में समस्त मौखिक, अनिलखीय साक्ष्य पंजीकृत विक्रय पत्र खतौनी व सादे बा एकड से अधिक भूमि न होने से सम्बन्धित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। एवं क्षेत्रीय लेखाल के बयान कराये गये लेखपाल के बयान के अनुसार विक्रीत सीलिंग, मूवान की नहीं है। विजेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। जिससे गह बेनामा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की मानत 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त बाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

ग्राम- दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी त 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00448 की गाटा संख्या 2967 रकबा 0.0510 हे० में रकबा 0.0058 हे० व गाटा संख्या 2957 रकबा 0.025080 में से रकबा 0.0028 हे० व गाटा संख्या 3062 रकबा 0.0500 हे० में से रकबा 0.0058 हे० व गाटा संख्या 3005 रकबा 0.2150 80 में से रकबा 0.0238 हे० व गाटा संख्या 2958 रकबा 0.2910 हे० में से रकबा 0.0322 हे० व गाटा संख्या 2845 रकबा 0.1520 हे० में से रकबा 0.0168 हे० कुल रकबा 0.7840 हे० में से रकबा 0.08730 विक्रेता का सम्पूर्ण अंश मा०गु० 60ख से विक्रेता श्रीमती कमला पत्नी जगदेव निवासी विशेश्वर खेडा दोना लखनऊ का नाम पृथक करके क्रेता मुख्य मंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनाना वरूपण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2025 सं०भू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर भी।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"